अपील सूचना अधिकार संख्या 40/2019 (RCMS 2019/000122) श्री नक्षत्र सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह वार्ड संख्या 8, रायसिंहनगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

05.08.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री नक्षत्र सिंह स्वयं उपस्थित हुआ। बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.04.2019 को प्रस्तुत करके दो बिन्दुओं की सूचनाएं चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने यह अपील इस न्यायालय में पेश कर प्रार्थना की है कि उसे वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **अपीलार्थी श्री नक्षत्र सिंह** ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.04.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थीः

1. उपखण्ड अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा दुकान संख्या 662 को नियमन की कार्यवाही की गंई।
2. किस आधार के तहत सड़क पर दुकान संख्या 662 को नियमन किया गया। उस नियम की प्रमाणित प्रति दी जावे।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,रायसिंहनगर ने जवाब भिजवाने हेतु अधिशाषी अधिकारी,नगरपालिका, रायसिंहनगर को लिखे गए पत्र की प्रति इस न्यायालय में भिजवाई है। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर ने अपील का कोई जवाब इस

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

न्यायालय में पेश नहीं किया है परन्तु अपीलार्थी ने अपने अपील पत्र के साथ अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर द्वारा दिये गये जवाब की प्रति अपने अपील पत्र के साथ संलग्न की है, जिसके अनुसार अधिशाषी अधिकारी, रायसिंहनगर ने निम्नानुसार जवाब दिया है :

क्र.सं.	सूचना का विवरण	प्रतिउत्तर
1	रायसिंहनगर भड़भूजा बाजार के वार्ड सं. 19 में नगरपालिका, रायसिंहनगर द्वारा लिखित में दिया गया कि दुकान संख्या 662 सड़क पर नियमन की गई है, तो किस ईओ द्वारा नियमन की गई, उसका नाम पूरा पता की प्रमाणित प्रति देवें	श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा नियमन की कार्यवाही की गई है। तत्कालीन समय में ईओ श्री दर्शनलाल सोनी थे, जो सेवानिवृत हो चुके है।
2	उस नियम की प्रमाणित प्रति दी जावें।	स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 01.01. 2002 की प्रति संलग्न है।

उक्त जवाब व प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचनाओं का दिया गया जवाब सही प्रतीत नहीं होता है। चूंकि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना चाही थी, जो उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने उसका प्रार्थना पत्र दिनांक 27.04.2019 के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत एक माह में अपीलार्थी की सूचना दी जानी चाहिए थी। ऐसी दशा में अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जानी उचित होगी।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर